


साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023)



भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुशासन दिवस पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम

(दिनांक 25.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचकुला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अधिकारियों व अन्य लोगों को संबोधित कर कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है और उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे

सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुँचे यहीं सुशासन का मूल मंत्र है। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों से मंत्रीगण, सासंदगण, विधायकगण व जिला प्रशासन के अधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से जुडे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ जिसके

माननाय मुख्यमंत्रा, हरयाणा



साप्ताहिक सूचना पत्र



फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृतकाल में जिन पंच प्रण के माध्यम से भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उनमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी जी ने अपने सुशासन के माध्यम से रख दी थी। उस समय उन्होंने देश में

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि जैसी परियोजनाओं में माध्यम से आधारभूत सरंचना में सुधार की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से सुशासन की अवधारण के अनुरूप वर्तमान सरकार नागरिकों को सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 9 सालों से निरंतर कार्यरत है। इसके लिए हमने पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सिस्टम को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में जब ऑनलाइन अध्यापक



साप्ताहिक सूचना पत्र

तबादला नीति लागू की गई तो उसमें 93 प्रतिशत से अधिक अध्यापक संतुष्ट रहे। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ग्रुप-डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थनांतरण पोर्टल को लॉच किया। इस पोर्टल पर ग्रुप-डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, इस पोर्टल पर ग्रुप-डी के कॉमन कार्ड के

अन्य पद पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने आज दो और पोर्टल की शुरुआत की जिसमें आत्मनिर्भर पोर्टल है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र के 5 दस्तावेजों को देख सकता हैं जिसमें परिवार पहचान पत्र, राशनकार्ड, जाति/आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, अति वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। जनसहायक मोबाईल एप में शिकायतें एवं सेवाएं, मेरी फसल—मेरा ब्योरा से किसान का विवरण,



साप्ताहिक सूचना पत्र



किसान गेट पास, ई-खरीद, जे-फार्म विवरण, संपति विवरण, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समेकित बहु उद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां (सीएमपैक्स) स्मारिका का विमोचन भी किया जिसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन से लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्गा शक्ति एप बनायी ताकि संकट की स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया करवाई जा सके। इसके अतिरिक्त, आमजन को पुलिस व अन्य सेवाएं

तत्काल पहुंचाने के लिए शुरू की गई डायल-112 द्वारा अब ऐसी सभी सेवाएं औसतन साढ़े 8 मिनट में आम जनता तक पहुंच रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी भी संकल्प लें। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया गया है।

सभी अधिकारी व कर्मचारी इसमें भाग अवश्य लें। सुशासन दिवस के दिन सुशासन का संकल्प लें जिस पर चलने का प्रयास हम पूरे साल करें। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने साल 2024 के कलेंडर का विमोचन भी किया। साथ ही, उन्होंने 12 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किये जिनमें 6 स्टेट लेवल फलेगशीप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवार्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया।



साप्ताहिक सूचना पत्र

'वीर बाल दिवस'

(दिनांक 26.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिला कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने उपरांत उपस्थित संगत को संबोधित कर कहा कि हम सभी को गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देश व समाज हित के लिए जितना सहयोग व योगदान कर सकते हैं उतना करना चाहिए।

इस अवसर पर उन्होंने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई।

सिख पंथ के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे जोरावर सिंह जी व फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित 'वीर बाल दिवस' पर उन्हें सादर नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च साहस के साथ वीर साहिजादे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन



से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी गुरुओं के दिखाए राह पर चलने के कोशिश करें और देश व समाज हित में योगदान दें। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया है। उनके शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 27.12.2023)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2024—25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पहली से आठवीं कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 55 करोड़ रुपये की मुद्रण लागत आएगी। इसके अलावा, एचपीपीसी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की

बैठक में कुल 264 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण,



साप्ताहिक सूचना पत्र



फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विज़न के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है।

इस कड़ी में आज की बैठक में जींद में स्थापित 15 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को

मंजूरी दी गई। इसके लिए एसटीपी पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कमयुनिटी आधारित सौर/ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी, इस पर लगभग लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत मास्टर रोड डिवाइलिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। साथ ही, सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी व अन्य कार्यों का विकास कार्य के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई।



साप्ताहिक सूचना पत्र

मार्च 2023–24 तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट


(दिनांक 27.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्तिकरदाताओं को नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टिझूँ करके स्व-प्रमाणित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2023 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट व वर्ष 2023–24 के संपत्तिकर पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी संपत्तिकर दाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं।

यदि किसी संपत्तिकरदाता को अपनी प्रॉपर्टी स्व-प्रमाणित करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वह संबंधित नगर निगम कार्यालय में स्थित

नागरिक सुविधा केन्द्र में अपनी प्रॉपर्टी स्व-प्रमाणित करवा सकता है, जोकि बिल्कुल निरुशुल्क किया जा रहा है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य स्तरीय दिशा समिति बैठक

(दिनांक 28.12.2023)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारी अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की निरंतर निगरानी करते रहें ताकि जनता को त्वरित

सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के दौरान जब पाइप लाइन बिछाने के कारण खराब हुई सड़कों और गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने का विषय रखा गया तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से माननीय मुख्यमंत्री जी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ईआईसी आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतिश को तुरंत ही दिशा कमेटी की बैठक से बाहर किया और साथ ही दोनों को 5 दिन की कंपल्सरी लीव पर जाने के आदेश दिए।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रिमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। यदि



साप्ताहिक सूचना पत्र

किसी कारणवश स्थानीय सांसद बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में जिला उपायुक्त को बैठक बुलाने का अधिकार है। इसलिए सभी बैठक तथा समयावधि में होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनिज कोष से

खनन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शिवधाम योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भिवानी के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि खनन के कारण खानक गांव में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खनन क्षेत्र में पानी का छिड़काव करने के साथ-साथ क्रैशर जोन के आस-पास पानी छिड़काव के लिए विशेष संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई जाए।

बैठक के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंबी दूरी तय करके स्कूल जाने के कारण बच्चों को हो रही परेशानी का विषय रखा गया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए बुनियाद



साप्ताहिक सूचना पत्र



कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण रहे बच्चे, जो लंबी दूरी तय करके स्कूल में जा रहे हैं, उनके बस पास बनाये जाएं और परिवहन विभाग भी फील्ड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर व्यवस्था को सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को स्कूल तक आने-जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से

अधिक पर स्थित स्कूलों में आने-जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना है, जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी



साप्ताहिक सूचना पत्र

ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ—साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के बाद आज बेटियों के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को सख्ती से अपनाते रहें और जो लोग राज्य से बाहर जाकर लिंग जांच करवाते हैं, उन पर भी अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। इतना ही नहीं, जो जिले अभी भी बेटियों की जन्म दर के मामले में कम हैं, उन जिलों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी



महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करे। सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉयल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक हैं, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।



साप्ताहिक सूचना पत्र

एसवाईएल के लिए बैठक

(दिनांक 28.12.2023)



प्रभाव : सतलुज—यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के मुद्दे पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की आज यहाँ बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने दोनों राज्यों में घटते भू जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए इस दिशा में समर्पित प्रयास करने का आव्वान किया। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के

लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा ने सूक्ष्म सिंचाई के मामले में 1000 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की है। पंजाब राज्य को भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। बैठक के दौरान हरियाणा का पक्ष रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण तथा पानी के



साप्ताहिक सूचना पत्र

बंटवारे का विषय अलग अलग है, लेकिन पंजाब केवल एसवाईएल निर्माण के विषय पर अटक गया है, जबकि हमें सामूहिक रूप से इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संचालित भाखड़ा चौनल लगभग 66–67 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए भविष्य में किसी करणवश इस चौनल में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो पानी के सुगम संचालन के लिए भी एसवाईएल का निर्माण अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

समझौते के अनुसार हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है लेकिन हरियाणा अपने स्तर पर पानी की उपलब्धता और मांग को प्रबंधित कर रहा है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी दक्षिण हरियाणा, अरावली क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। तदानुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि पंजाब एसवाईएल का निर्माण कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पानी छीन लेंगे। बैठक के उपरांत मीडिया से



साप्ताहिक सूचना पत्र



बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज की बैठक बड़े ही मनोहर माहौल में हुई, लेकिन मान है कि माने नहीं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का विषय वर्षों से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि केंद्र सरकार हरियाणा व पंजाब के साथ मिलकर आपसी सहमति से इस विषय को सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए।

आज की बैठक में पंजाब सरकार की ओर से एसवाईएल और पानी की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को एक एफिडेविट दिए जाने की बात कही गई है।

इस एफिडेविट को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा पानी आने के कारण पंजाब को भी नुकसान होता है। पानी के नेचुरल फ्लो के लिए वैकल्पिक चौनल होना आवश्यक है, इसलिए भी एसवाईएल का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों में जल प्रबंधन के विभिन्न विषयों जैसे पानी की उपलब्धता, फसल विविधिकरण, डीएसआर तकनीक इत्यादि विषयों को लेकर एक संयुक्त कमेटी बननी चाहिए। हालांकि, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसवाईएल को लेकर एक कमेटी पहले से बनी हुई है, अब उसी कमेटी का दायरा बढ़ाकर इन जल प्रबंधन के विषयों पर भी संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा।



साप्ताहिक सूचना पत्र

सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक

(दिनांक 29.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में सीएम घोषणाओं के तहत लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं

के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके।

इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाये जाने वाले स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया।

विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए



साप्ताहिक सूचना पत्र



जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी, इसलिए सभी सरपंचों, ग्राम सचिव, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तार से इस बारे जानकारी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय

जॉब गीवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए नये ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन किए जाए। हरियाणा कौशल विकास मिशन या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का परिक्षण दिया जाए, ताकि युवा उद्यमी बन सके। इस संबंध में राज्य स्तर पर भी रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही युवाओं को वित्त प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट इत्यादि का भी परिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग व बहुतकनीकि



साप्ताहिक सूचना पत्र



संस्थानों से पास—आउट होने वाले विद्यार्थियों को कॉन्ट्रैक्टर में अप्रेंटिसशिप दी जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल लगभग 10 हजार से अधिक मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 7 हजार से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1500 पर काम चल रहा है, जोकि जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा, लगभग 1200 घोषणाएं लंबित हैं, जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकि स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर हैं। आज की बैठक में इनमें से 864 घोषणाओं की

समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो घोषणाएं भूमि की उपलब्धता, रेलवे मंत्रालय, अंतर-विभागीय विषयों के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन पर प्रशासनिक सचिव कड़ा संज्ञान लें और निरंतर बैठकें कर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर एनएचएआई के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके।



साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक

(दिनांक 29.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जीने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई—गर्वनेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई—बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी।

इससे ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत सरकार के तीन प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के



इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद उनकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति लंसबित रहती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

जन संवाद पोर्टल की समीक्षा बैठक

(दिनांक 30.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और सुझावों को लेकर पांच विभागों की शुक्रवार देर सायं अपने निवास संत कबीर कुटीर में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जन संवाद के दौरान प्रदेशभर में हुए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन संवाद पोर्टल पर आई सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं फीडबैक लेने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आई एक-एक शिकायत की वे स्वयं समीक्षा करते हैं। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग, जलवायु, वन



एवं वन्य जीव विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिवों ने अपने अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं की न सिर्फ लोगों को जानकारी मिले, बल्कि उनका हर जरूरतमंद लोगों को फायदा भी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और तल्लनीता से काम करें। लोगों को सुविधाएं जल्द मिलें, इसके लिए विभागों में आपसी तालमेल को मजबूत बनाया जाए।



साप्ताहिक सूचना पत्र

सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम की गोल्डन जुबली

(दिनांक 30.12.2023)



प्रभाव : प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त एक नया अध्याय जोड़ दिया जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों से विशेष चर्चा की 50 वि कड़ी पूरी की। राज्य सरकार द्वारा

प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे कल्याण के कार्यों की फीडबैक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साल पहले शनिवार को विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था ,



साप्ताहिक सूचना पत्र

उसका आज 50 वां एपिसोड था। जैसे एक किसान गर्मी-सर्दी की परवाह किए बिना अपनी फ़सल की हिफाजत करता है ठीक उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर हाल में (चाहे चंडीगढ़ हों या दिल्ली, या फिर किसी ग्रामीण या शहरी दौरे पर हों) हर शनिवार को अपनी विशेष चर्चा के माध्यम से प्रदेशवासियों का हाल—चाल जाने बिना नहीं सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2024 की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों को नववर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए घोषणा की कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” के तहत अयोध्या में राम लला के दर्शन करवाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 25 जनवरी के बाद नए कलेवर और नए फ्लेवर में जनसंवाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। आज अपनी स्वर्ण जयंतीय विशेष चर्चा

के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं व सेवाओं के लाभार्थियों के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से साप्ताहिक विशेष चर्चा का आज एक साल पूरा हो रहा है। विशेष चर्चा का आज यह 50वां संस्करण है।

इस एक साल के दौरान मुझे विभिन्न वर्गों से सीधे बात करने का अवसर मिला है, जिससे आपकी समर्थ्याओं, शिकायतों व सुझावों का सीधे ही पता चला है। साथ ही मुझे विभिन्न वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के बारे में सीधे ही फीडबैक भी मिला है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। इसके माध्यम से फीडबैक प्राप्त करके मैने कई योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से करवाने के लिए सिस्टम में सुधार किया। मुझे यह भी पता चला कि योजनाओं को लागू करने में कोई



साप्ताहिक सूचना पत्र

ढील तो नहीं बरती जा रही। जब भी मैंने ऐसा महसूस किया तो उस योजना को लागू करने वाले अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्हें लोगों से मोबाइल फोन पर सीधे ही बात करने का विचार तब आया जब वे 9 दिसम्बर, 2022 को सोनीपत में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान आमजन से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि कुछ लोग सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने में संकोच का अनुभव कर रहे थे अथवा अधिकारियों के सामने रहते अपनी बात करने में कुछ झिझक रहे थे। तब हमने तय किया कि लोग अपनी समस्याओं के लिए, कठिनाइयों के लिए छोटे—मोटे कामों के लिए सरकार के द्वार पर न आएं, बल्कि सरकार उनके पास स्वयं जाकर उनकी समस्याओं को जाने, उनकी विकास की जरूरतों को समझे। उन्होंने कहा कि वे पिछली सरकारों की तरह वातानुकूलित कमरों

में बैठने की बजाए लोगों की जरूरतों, आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर समाज के हर वर्ग के हित में योजनाएं बनाते हैं।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि इन योजनाओं का लाभ घरातल पर पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और अपात्र इनका लाभ न उठा सकें।

हम योजनाओं के सही निष्पादन व फलदायी परिणामों के लिए केवल सरकारी अधिकारियों से फीडबैक नहीं लेते, हम उन लोगों से भी फीडबैक लेते हैं, जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विशेष चर्चा के दौरान अनेक ऐसी समस्याओं का पता चला है, जो देखने में छोटी होती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वे बहुत बड़ी होती हैं। इनके समाधान भी हमने किए हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम इस तरह के कार्यक्रम नए कलेवर और नए फलेवर में आगे भी जारी रखेंगे।



साप्ताहिक सूचना पत्र

एकमुश्त व्यवस्थापन—2023 योजना का शुभारंभ

(दिनांक 31.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के व्यापारी व कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले करों सम्बंधी अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को पूरा करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन—2023 (ओटीएस) योजना का आज गुरुग्राम से शुभारंभ किया।

इस योजना के तहत पहली जनवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024 के तहत जीएसटी लागू होने से पहले सात अलग—अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी

खोलने की घोषणा की।

आबकारी एवं कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि यह स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। इस स्कीम के तहत वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की सात अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

जिसमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955, (1955 का पंजाब अधिनियम 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर



साप्ताहिक सूचना पत्र

अधिनियम, 1973 अधिनियम शामिल है। ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है। जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया है जिसमें कोई विवाद नहीं है। इस श्रेणी के तहत टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना व ब्याज राशि के सौ प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा।

वही विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30 प्रतिशत व 50 लाख से अधिक राशि की आउटस्टैंडिंग पर करदाता को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा।

ओटीएस स्कीम की तीसरी श्रेणी निर्विवादित कर के तहत विभाग द्वारा जो टैक्स बनाया गया है व इसमें करदाता की ओर से कोई अपील नहीं की गई। ऐसी टैक्स आउटस्टैंडिंग में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर राशि होने पर 60 प्रतिशत का भुगतान करना

होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माना व ब्याज राशि में राहत दी गई है। वहीं चौथी श्रेणी में अन्तरीय कर में टैक्स रेट की अंतर वाली आउटस्टैंडिंग को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सरकार ने करदाता को राहत प्रदान करते हुए कुल आउटस्टैंडिंग की केवल 30 प्रतिशत राशि भुगतान करने की छूट दी है।

समाज की खुशहाली व सेवा करने के ध्येय के साथ विवादों का समाधान कार्यक्रम शुरू किया था। एक मुश्त व्यवस्थापन योजना—2023 भी इसी कार्यक्रम के तहत आरंभ की गई है। साथ ही दर्जनों कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों की कठिनाईयों को दूर किया गया।

उन्होंने शहरी स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय की भूमि पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए आरंभ इस योजना को अब विस्तार दिया जाएगा।



साप्ताहिक सूचना पत्र

वृद्धावन स्थित वात्सल्य गांव में षष्ठपूर्ति महोत्सव

(दिनांक 31.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धावन में स्थित वात्सल्य गांव में पहुंचे और साध्वी ऋतंभरा जी को उनके 60वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

संतों द्वारा आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृद्धावन का बृज क्षेत्र भगवान् श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची। भगवान् कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय गीता के संदेश के अनुसार ही विश्व को कर्म व शांति के

संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वात्सल्य गांव में साध्वी ऋतंभरा सेवा का अनूठा कार्य कर रही हैं और मानव जाति को जागृत कर रही हैं। यहां हमें आध्यात्मिकता प्रेरणा मिलती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें वर्षों से जिसका इंतजार था, अब वह दिन आने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। अगले वर्ष में दो बार दिवाली मनाई जाएगी तथा कार्यक्रम में सभी संतो व आम जनता को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों के साथ तीन पुस्तकों नामतरू साध्वी ऋतंभरा व राम जन्म भूमि आंदोलन, नर से नारायण व वात्सल्य मूर्ति का विमोचन भी किया।



साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रदेशवासियों और वीर जवानों को नववर्ष 2024 की बधाई व शुभकामनाएं

(दिनांक 31.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रदेशवासियों और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नववर्ष 2024 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और सबके परिवार में और अधिक सुख-समृद्धि लाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई उमंग लेकर आता है। नववर्ष नव संकल्प लेने का अवसर होता है।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' को चरितार्थ करना है। हम साल भर पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जनकल्याण से जुड़ी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएंगे। पिछले 9 वर्षों



में हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सुशासन की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है और काफी हद तक इसमें सफल भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' की भावना और सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी के कल्याण और पूरे प्रदेश की एक समान प्रगति के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग और परिश्रम के बल पर आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित व अग्रणी राज्यों में होती है।

